

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधि कार्य विभाग

क्रमांक: प.24(1)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 1.4.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) संवर्ग के निम्न पदों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई आपत्ति मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगी:-

संयुक्त शासन सचिव

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	वर्ग	चयनवर्ष	विवरण
1.	टीकाराम शर्मा	17.07.1963	सामान्य	2019-20	

उप शासन सचिव

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	वर्ग	चयनवर्ष	विवरण
1.	भवानी शंकर नन्दवाना	07.07.1963	सामान्य	2016-17	
2.	दिलीप कुमार शर्मा	20.09.1966	सामान्य	2017-18	
3.	कमल नारायण बोरान	01.09.1965	सामान्य	2019-20	
4.	अजय शर्मा	20.03.1966	सामान्य	2020-21	
5.	लता श्रीमाली	17.07.1968	सामान्य	2021-22	

विधि रचना अधिकारी

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	वर्ग	चयनवर्ष	विवरण
1.	राजेश अरोड़ा	29.01.1970	सामान्य	2015-16	
2.	राजकुमार	20.09.1971	सामान्य	2016-17	
3.	सुमन्त छाबड़ा	31.01.1970	सामान्य	2017-18	
4.	राजेश कुमार आचार्य	01.01.1969	सामान्य	2019-20	
5.	अनिल कुमार शर्मा	20.07.1962	सामान्य	2020-21	


वरिष्ठ विधि रचनाकार

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	वर्ग	चयनवर्ष	विवरण
1.	शिखा जैकब	07.02.1975	सामान्य	2018-19	
2.	अशोक कुमार सेन	23.01.1981	सामान्य	2018-19	
3.	राजेन्द्र भाटिया	02.07.1979	अजा	2018-19	
4.	मोनिका शर्मा	03.03.1978	सामान्य	2018-19	
5.	सुचिता बी.सहाय	11.01.1984	अजा	2019-20	

विधि रचनाकार


क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	वर्ग	चयनवर्ष	विवरण
1.	निकुंज दीक्षित	10.07.1984	सामान्य	2018-19	
2.	ऋषिका शेखर	13.05.1986	सामान्य	2018-19	
3.	संयोगिता	23.12.1981	सामान्य	2018-19	
4.	अनिल कुमार डामोर	04.08.1990	अजा	2018-19	

आज्ञा से


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि।
3. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव